न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 166/2022

GCMS No. : 2022/314

–: वादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति–कुमावत
   निवासी– समौखी।
2. रविन्द्र कुमावत पुत्र मनोज जाति–
   कुमावत निवासी– बांझाकुड़ी जिला–
   ब्यावर,।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू :– 25.08.2022

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 22.10.2024**

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 60/104 क्षेत्रफल 0.9470 हैक्टर किस्म चा0दो0 मौजा– पातुस पटवार हल्का– बिरोल** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 01 से लगायत 02 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***वाणिज्यिक उपयोग (आवासीय कॉलोनी काटकर)*** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक 04.08.2022** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **अकृषि (आवासीय कॉलोनी काटकर)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का नता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह ष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 60/104 ल रकबा 0.9470 हैक्टर, मौजा पातुस जिसकी किस्म चाही दोयम है, अर्थात कृषि ग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया कार अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से नुज्ञा प्राप्त किए मौके पर आवासीय कॉलोनी काटकर आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया रहा है। पटवारी पातुस की मौका फर्द दिनाँक 08.08.2022 से इस तथ्य की ली–भाँति पुष्टि होती हैं। खातेदार द्वारा बावजूद सम्मन सूचना के न तो उक्त तथ्य का ण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा दग्रस्त कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की गी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल ाए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, तारण का वाद–पत्र भली–भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादीगण खातेदार को वादग्रस्त ाराजी में से खातेदारी, अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल रते हुए वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम– पातुस, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 60/104, रकबा 0.9470 बीघा, किस्म– चाही दोयम, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में अंकित खसरा नम्बर 60/104, रकबा 0.9470 बीघा, किस्म– चाही दोयम को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
जलास :– श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।		1. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति–कुमावत निवासी– समौखी। 2. रविन्द्र कुमावत पुत्र मनोज जाति–कुमावत निवासी– बांझाकुड़ी जिला–ब्यावर,।

ास्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा , 7 राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 166/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ी–भाँति साबित होर्ने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम– पातुस, तहसील–ारण, खसरा नम्बर 60/104, रकबा 0.9470 बीघा, किस्म– चाही दोयम, से प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस देश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में अंकित खसरा नम्बर 60/104, रकबा 0.9470 घा, किस्म– चाही दोयम को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी ताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित कर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

ज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदर्मे मय सूद व शहर ....–...... ोस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/10/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	Nil		महनताना वकील	Nil	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।